संख्या-114/2023/I/392088/2023/001-71-2099-803-2021

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 21 सितंबर, 2023

विषयः- संस्थान परिसर में पी0आर0ए0 गेस्ट हाउस के विस्तार संबंधी निर्माण कार्य से संबंधित माह अप्रैल, 2022 से जून, 2023 तक जी0एस0टी0 के मद में वास्तविकता के आधार पर व्यय की गयी अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/अभि0/एन0बी0-109/2019 /348/2023, दिनांक 11.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान परिसर में पी0आर0ए0 गेस्ट हाउस के विस्तार संबंधी निर्माण कार्य से संबंधित माह अप्रैल, 2022 से जून, 2023 तक जी0एस0टी0 के मद में वास्तविकता के आधार पर व्यय की गयी अवशेष धनराशि 13,07,930.00 अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि विषयगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-10/2020/1305 /71-2-19-पी-09/2019, दिनांक 22 जनवरी, 2020 द्वारा संस्थान परसिर में पी0आर0ए0 गेस्ट हाउस के विस्तार कार्य हेतु रू0 779.38 लाख + जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से समस्त धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। उक्त परियोजना में जी0एस0टी0 के अंतर्गत धनराशि रू0 87,90,737.00 की देयता बनती है। इस संबंध में माह मार्च, 2022 तक जी0एस0टी0 के मद में कार्यदायी संस्था द्वारा वास्तविक भुगतान की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-24 वृहद निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शासनादेश संख्या-66/2022/I/181183/2022/001-71-2099-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

803-2021, दिनांक 22 जून, 2022 द्वारा धनराशि रू0 74.83 लाख अवमुक्त की गयी है तथा धनराशि रू0 13,07,737.00 का भुगतान अवशेष है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में संस्थान परिसर में पी0आर0ए0 गेस्ट हाउस के विस्तार कार्य हेतु माह अप्रैल, 2022 से जून, 2023 तक जी0एस0टी0 के मद में कार्यदायी संस्था द्वारा वास्तविक भुगतान की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-24 वृहद निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 13,07,737.00 (रूपये तेरह लाख सात हजार सात सौ सैतीस मात्र) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

1. वित्तीय वर्ष 2023-24 में वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/ 2023/बी-1-22/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्थान के वित्त नियंत्रक का होगा।
2. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। अन्य कार्य हेतु व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाक घर/बैक खाते आदि में नही रखा जायेगा।
4. शासनादेश संख्या-10/2020/1305/71-2-19-पी-09/2019, दिनांक 20.01. 2020 की सुसंगत शर्ते/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।
5. संस्थान के वित्त नियन्त्रक द्वारा जी0एस0टी0 मद में व्यय की गयी धनराशि से संबंधित चालानों तथा आंकड़ो का पुनः मिलान कर लिया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जी0एस0टी0 मद में वास्तविक भुगतान की गयी धनराशि की सीमा तक ही कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त किया जाये।
6. धनराशि को कोषागार से वित्ती अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहंरित किया जायेगा तथा बिल पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 13,07,737 (रुपये तेरह लाख सात हजार सात सौ सैंतीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050300 संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा)
विशेष सचिव।

संख्या-114/2023/1/392088/2023/001-71-2099-803-2021 , तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, सी0 एण्ड0 डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।